दिनांक:01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से कुल 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.06.2025 की रात्रि में मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **आकिल उर्फ अनिल पुत्र हनीफ़ निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर** को सड़क पुख्ता पर सरकारी कमेला हाजी शाहिद के गोदाम के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक (कुल कीमत 03 लाख रूपये) बरामद। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर मु0अ0सं0 257/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ स्मैक पीने का आदि हूँ और अपना खर्चा चलाने के लिए मैं स्मैक को घूम फिरकर लोगों को बेच देता हूँ जिससे मेरा जेब खर्च चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आकिल उर्फ अनिल पुत्र हनीफ़ निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- **15 ग्राम अवैध स्मैक**

गिरफ्तार अभियुक्त आकिल उर्फ अनिल उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1 .मु0अ0सं0 01/2019 धारा 8/21 एंडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 029/22 धारा 8/20 एंडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 030/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 143/2018 धारा 13 जी एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
5. मु0अ0सं0 146/2022 धारा 8/20 एंडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
6. मु0अ0सं0 265/23 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मण्डी सहारनपुर।
7. मु0अ0सं0 334/2020 धारा 8/20 एंडीपीएस एक्ट थाना मण्डी सहारनपुर।
8. मु0अ0सं0 599/2019 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भड़ाना थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
2. है0क0 414 गुलनवाज थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।
3. है0का0 235 विनीत कुमार थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक:01.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त/वाँछित को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली मण्डी पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी **अभियुक्त शमशेर अली पुत्र गुल मौहम्मद निवासी म0न0- 8/4119/बी गली न0- 3 मदनपुरी कालोनी निकट जैन मन्दिर थाना मण्डी सहारनपुर** को सम्बन्धित एनबीडब्लू/धारा 82 सीआरपीसी वाद स0- 29770/2022 धारा 138 एनआई एक्ट सम्बन्धित माननीय न्यायिक अतिरिक्त न्यायालय सहारनपुर में अभियुक्त को मदनपुरी कालोनी गली न0 3 निकट जैन मंदिर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शमशेर अली पुत्र गुल मौहम्मद निवासी म0न0- 8/4119/बी गली न0- 3 मदनपुरी कालोनी निकट जैन मन्दिर थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र भडाना थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 414 गुलनवाज थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 235 विनीत कुमार थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नकुड़, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 स्थायी वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में वांछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम के कुशल नेतृत्व मे थाना नकुड़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01.07.2025 को एक स्थायी **वारण्टी अभियुक्त सुनील उर्फ पिंका पुत्र जयपाल निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर** संबंधित वाद संख्या 736/2024 निर्गत माननीय न्यायालय प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय सहारनपुर को उसके मोहल्ला चौधरीयान, नकुड़ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

सुनील उर्फ पिंका पुत्र जयपाल निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा व थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अविनाश गौतम थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री शिवम चौधरी थाना नकुड जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 923 प्रविन्द्र थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

दिनांक: 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली नगर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 01.07.2025 को 01 वारण्टी**/अभियुक्त शमशाद पुत्र इकबाल निवासी विजय टाकिज के सामने किला नबाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर सम्बन्धित वाद स0-2035/24, मु0अ0स0- 60/05 धारा- 420 भादवि चालानी थाना सरसावा नियत तिथि- 2.07.25 जारी माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0- तृतीय** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

शमशाद पुत्र इकबाल निवासी विजय टाकिज के सामने किला नबाबगंज थाना कोतवाली नगर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रचित यादव थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
2. का0 102 कपिल कुमार थाना कोतवाली नगर सहारनपुर
3. का0 1065 अनुजपाल थाना कोतवाली नगर सहारनपुर

दिनांक- 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/ अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 215 ग्राम अवैध चरस बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2025 को मखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01शातिर नशा तस्कर /अभियुक्त **इकरार पुत्र इसराइल निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को बिजली घर के आगे नर्सरी को जाने वाले रास्ते पर टीनशेडनुमा कमरे के पास ग्राम फतेहपुर भादो से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 215 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ,मजदूरी का कार्य करता हूँ तथा नशा करने का आदि हूँ। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये एंव कम समय में अधिक रुपये कमाने के लिये मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

इकरार पुत्र इसराइल निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 215 ग्राम अवैध चरस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

मु0अ0सं0 637/20 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना फतेहपुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2.उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
3.उ0नि0 शेषपाल सिंह थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. है0का0 24 सुनील कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
5. है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक- 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 80 ग्राम अवैध चरस व 580/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 01.07.25 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त **रिहान पुत्र गुफरान उर्फ फाना निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को छुटमलपुर कट के पास खण्डहरनुमा मकान से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से 80 ग्राम अवैध चरस बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 137/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय समक्ष के पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं पढा लिखा नहीं हूँ,मजदूरी का कार्य करता हूँ तथा नशा करने का आदि हूँ। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये एंव कम समय में अधिक रुपये कमाने के लिये मैं चरस सस्ते दाम में खरीदकर अधिक कीमत में बेच देता हूँ जिससे मुझे अच्छा मुनाफा हो जाता है। आज जब मैं चरस बेचने जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

रिहान पुत्र गुफरान उर्फ फाना निवासी ग्राम फतेहपुर भादो थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 80 ग्राम अवैध चरस
- 580 रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 शुभम चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. का0 1876 सचिन शर्मा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी, सहारनपुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है दिनांक 22.03.2025 को वादिया श्रीमति जमील पत्नी स्व0 अब्दुल रहमान निवासी मौ0 बरकत कालोनी गली न0 32 खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादिया की पुत्री शबाना की उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज उत्पीडन कर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 120/25 धारा 85/80/115(2)/91/352/351(3) बीएनएस व ¾ दहेज प्रतिषेध अधि0 बनाम 1. नदीम पुत्र कल्लू 2. शहजाद पत्नी कल्लू 3. सैफ अली पुत्र कल्लू 4. यासमीन पुत्री कल्लू 5. कल्लू पुत्र नामालूम 6. सोनिया पुत्री कल्लू समस्त निवासीगण सिराज कालोनी निकट मुजफ्फरी मस्जिद खाताखेडी थाना मण्डी सहारनपुर पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री बीनू सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में कार्यवाही करते हुए 03 वांछित **अभियुक्तगण 1- कल्लू पुत्र अब्दुल वाहिद 2-नदीम पुत्र कल्लू 3- शहजाद पत्नी कल्लू निवासीगण सिराज कालोनी म0न0 40/5 निकट मुज़्जफ्फरी मस्जिद खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर** को पुल खुमरान के पास से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1- कल्लू पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर।
2- नदीम पुत्र कल्लू निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर।
3- शहजाद पत्नी कल्लू निवासी सिराज कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 नरेन्द्र भडाना थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 539 निवेश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 235 विनीत कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. म0का0 983 मीनू गिल थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में 01 वांछित / अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.05.2025 को वादी श्री कर्म सिंह पुत्र शोभाराम निवासी ग्राम बुडढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.अनुज पुत्र बीर सिंह 2.दीपक पुत्र परमानन्द 3.बिट्टू पुत्र महेन्द्र निवासीगण ग्राम बुडढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी के साथ गाली गलौच कर मारपीट करना तथा अभियुक्त अनुज उपरोक्त द्वारा वादी की बाये हाथ की छोटी उंगली को दाँतो से काट देना तथा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 110/25 धारा 115(2)/117(2)/352/351(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 01 वांछित **अभियुक्त बिट्टू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर** को ग्राम बुड्ढाखेडा पुण्डीर के पास से गिरफ्तार किया गया*। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मेरी व मेरे अन्य साथियो की काफी समय से कर्म सिंह के साथ किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है। दिनांक 24.5.2025 को सड़क पर टीलर गिर जाने के बाद जब कर्म सिंह ने हमे टोका तो हमे गुस्सा आ गया और इसी बात से क्रोधित होकर मैंने व मेरे अन्य साथियों ने मिलकर कर्म सिंह के साथ मारपीट कर दी थी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

बिट्टू पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम बुड्ढाखेडा पुण्डीर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 जितेन्द्र राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. हैड का0 307 प्रदीप थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हैड का0 24 सुनील थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

दिनांक: 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर ,उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 नशा तस्कर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध नशीलें पदार्थों की रोकथाम हेतु इनके कारोबार में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 01/07/2025 को गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त **अकरम पुत्र अख्तर नि0 मौ0 इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर** को मौ0 सराय पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 20 ग्राम नाजायज स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0- 232/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अकरम पुत्र अख्तर नि0 मौ0 इलाहीबक्श कस्बा व थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 20 ग्राम नाजायज स्मैक

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 62/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 512/22 धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
3. मु0अ0सं0 536/20 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।
4. मु0अ0सं0 232/25 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 362 अमित पंवार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।
3. का0 326 रिंकू कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गया माल व 4700/- रुपये नगद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.09.2024 को वादी श्री कुलदीप कुमार पुत्र सूरजमल सिंह निवासी ग्राम ध्याना थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत पूर्व माध्यमिक विधालय देवबन्द देहात से अज्ञात चोरो द्वारा स्कूल मे रखा सामान चोरी कर लेने के सम्बन्ध मे थाना देवबंद पर मु0अ0स0 383/25 धारा 305(ए) बीएनएस एंव वादी श्री प्रभात कुमार पुत्र लोकेश निवासी ग्राम कर्डी थाना देवबंद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोरों द्वारा वादी की ट्यूबवैल की मोटर का तांबे का तार चोरी कर लेने के संबंध में थाना देवबंद पर मु0अ0स0 395/25 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा वादी श्री तालिब पुत्र समीम निवासी मौ0 पठानपुरा थाना देवबंद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत वादी के घर से घरेलू सामान व पैसे चोरी कर लेने के संबंध में मु0अ0स0 397/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में वाहन चोरी/नकबजनी/लूट/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 30.06.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा 03 शातिर चोर*/**अभियुक्तगण 1. नईम पुत्र समीम निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. उस्मान पुत्र पप्पू उर्फ समीम निवासी अजीजा कालोनी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 3.फरमान पुत्र पप्पू उर्फ समीम निवासी अजीजा कालोनी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** को देवबंद बडगांव रोड ग्राम लबकरी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनकी निशांदेही/कब्जे से तीनो मकुदमे उपरोक्त में चोरी गया माल बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर तीनों मुकदमें उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हम तीनो कम पढे लिखे हैं व मजदूरी का कार्य करते हैं। हम तीनो को ही अक्सर पैसी की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिये हम तीनो मिलकर अधिक रुपये कमाने के लिये बंद पड़े मकान या दुकान से चोरी कर लेते हैं और चोरी किये सामान को कबाड़ी को बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। हम चोरी करने के बाद चोरी किये गये सामान को लबकरी के जंगल मे बने कुडे घर के बाथरूम में छुपा देते थे और ठीक समय आने पर उस सामान को बेच देते थे। दिनांक 30.06.2025 को जब हम तीनो चोरी गये सामान को लेने आय़े थे तो रास्ते में पुलिस ने हमें पकड लिया। हम तीनो ने मिलकर जो भी सामान चोरी कर लबकरी के जंगल में छुपा कर रखा था उसे पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः–

1. नईम पुत्र समीम निवासी मौ0 पठानपुरा बेरियान कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. उस्मान पुत्र पप्पू उर्फ समीम निवासी अजीजा कालोनी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

3.फरमान पुत्र पप्पू उर्फ समीम निवासी अजीजा कालोनी पठानपुरा कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः–

- 4700/- रूपये नगद (मु0अ0स0 397/25 से संबंधित)
- 01 इडेक्शन चुल्हा ,01 प्रेस ,01 बाथ टब,02 LED 32 इन्ची , 01 LED 32 इन्ची, 12 चम्मच,11 थाली
- 03 सिलेन्डर इण्डियन कम्पनी (मु0अ0स0 383 /25 से संबंधित)
- 01 बडा भगोनी मय ढक्कन (एलुमिनियम), 01 बडी बाल्टी स्टील मय ढक्कन ,01 फ्राईदान ,01 प्रेशर कुकर
- 01 किलो तांबे का तार (मु0अ0स0 395/25 से संबंधित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री के0पी सिह थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 विमल सैनी थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
3. है0का0 274 रवि तोमर थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
4. है0का0 742 विनोद यादव थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
5. का0 2358 तरुण कुमार थाना देवबंद जनपद सहारनपुर
6. का0 प्रेमचंद थाना देवबंद जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक: 01.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गयी 01 लोंग (पीली धातु), 01 जोडी पाजेब (सफेद धातु), 05 अंगूठी (सफेद धातु) व 1720/- नकद बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 09.04.2025 को वादी श्री सन्जू पुत्र ओमपाल सिंह निवासी राजनगर कालोनी थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से टायलेट का सामान चोरी कर ले जाने के संबन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 77/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा दिनांक 12.06.2025 को वादीया श्रीमती रिजवाना पत्नी मशकूर निवासी ग्राम बून्दुगढ़ थाना नानौता जनद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.नदीम पुत्र सलीम उर्फ धारा निवासी ग्राम बून्दुगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर 2.आसिफ पुत्र रुकमा निवासी धलापडा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादीया के घर से आभूषण व नगदी चोरी कर ले जाने के संबन्ध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 126/25 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण एवं चोरी की घटनाओं की रोकथाम व वांछित अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा थाना नानौता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 77/25 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 126/25 धारा 305(ए) बीएनएस की चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर **नदीम उर्फ रांझा पुत्र सलीम उर्फ धारा निवासी ग्राम बून्दुगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को दिल्ली रोड़ से ग्राम बून्दूगढ़ जाने वाले मार्ग से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी 01 लोंग (पीली धातु), 01 जोडी पाजेब (सफेद धातु), 05 अंगूठी (सफेद धातु) व 1720/- नकद बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की वृद्धि करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने अपने साथी के साथ मिलकर दिनांक 10/11.06.2025 की रात्रि को एक मकान से जेवरात, रुपये व दो मोबाईल चोरी किए थे जिनको मैने व मेरे साथी ने आपस में बांट लिया था। मेरे साथी ने चोरी के रुपयों मे से मुझे मेरे हिस्से के 15000/- रुपये दिये थे जो मैने खर्च कर दिये है तथा चोरी किए गये दोनो मोबाइल मेरे दोस्त ने ही रख लिए थे। आज जो सामान मुझसे मिला है ये वही चोरी का मेरे हिस्से मे आया हुआ सामान है । इसके अलावा मैने व मेरे साथी ने करीब दो माह पहले खुडाना कालोनी मे से दो डब्बे चोरी किये गये तथा हमने वो सामान राह चलते कबाडी को बेच दिया था आज मेरे पास जो रुपये बरामद हुए है ये उसी सामान के बचे हुए रुपये है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

नदीम उर्फ रांझा पुत्र सलीम उर्फ धारा निवासी ग्राम बून्दुगढ़ थाना नानौता जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- 01 लोंग (पीली धातु)
- 01 जोडी पाजेब (सफेद धातु)
- 5 अंगूठी (सफेद धातु) **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 126/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)**
- 1720/- रुपये नकद **(सम्बन्धित मु0अ0सं0 77/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस)**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 जयवीर सिह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 823 नीरज थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. का0 2032 सचिन थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-01.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियंत्रण हेतु चोरी/लूट/डकैती आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा गस्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त अमन पुत्र महावीर निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर को ग्राम बुढेडा से शमशान घाट को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से 01 देशी तंमन्चा 315 बोर बरामद हुआ । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 229/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

अमन पुत्र महावीर निवासी ग्राम झबीरण थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 तमंचे 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 279/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 08/2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 229/2025 धारा 3/25 आर्म एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री चन्द्रपाल सिंह, थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

2.है0का0 है0का0 251 विदोष थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

3. है0का0 1134 संदीप थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।

दिनांकः 01.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 इन्वर्टर व नोटो की 05 मालाएँ बरामद ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में चोरी मे सलिप्त अभियुक्तों के विरुध्द अभियान चलाया जा रहा है। जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 01.07.25 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग करते समय अभियुक्त शाहरुख उर्फ सुन्डी पुत्र सईद निवासी रोशन कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर को हरियाबांस हाईवे पुल के किनारे कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे से अलग अलग मुकदमो मे चोरी हुये एक इन्वर्टर व 05 नोटो की माला बरामद हुई । चोरी हुये सामान के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0स0 43/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस व मु0अ0स0 52/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस मे अभियोग पजीकृत है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पुछताछ का विवरण- पकडे गये अभियुक्त से पुछताछ की गयी तो बताया कि मैने दिनाक 5/6.03.25 की रात्रि मे कस्बा गागलहेडी पेट्रोल पम्प के पास दीनारपुर रोड पर बनी दुकान से 05 नोटो की मालायें जिनमे 02 मालाएँ 20-20 रुपये के 25 नोट तथा 01 माला 20-20 रुपये के 13 नोट व 02 माला सादी कृत्रिम फूलों की चोरी की थी व दिनाक 24/25.03.2025 की रात्रि मे मैने अपने साथी के साथ मिलकर ग्राम अमरपुर बेगमपुर में लगे धर्म कांटे से बैटरा व प्रिन्टर चोरी किया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरुख उर्फ सुन्डी पुत्र सईद निवासी रोशन कालोनी कस्बा व थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

अभियुक्त शाहरुख उर्फ सुन्डी का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 723/2018 धारा 379/411 भादवि थाना देवबन्द स0पुर
2. मु0अ0स0 887/2018 धारा 398/401 भादवि थाना देवबन्द स0पुर
3. मु0अ0स0 889/2018 धारा 4/25 आमर्स एक्ट थाना देवबन्द स0पुर
4. मु0अ0स0 43/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर
5. मु0अ0स0 52/25 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस थाना गागलहेडी स0पुर

बरामदगी का विवरण -

❖ एक इन्वर्टर LUMINOUS BRAVO LX LONG BACK UP UPS 875 VA

❖ 05 नोटो की मालायें (02 मालाएँ 20-20 रुपये के 25 नोट ,01 माला 20-20 रुपये के 13 नोट व 02 माला सादी कृत्रिम फूलों की)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष विनोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

2. उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 1115 योगेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 906 विपिन कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

-प्रेस नोट-

दिनांकः-01.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहानरपुर उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 01.07.25 को थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग को दौरान थाना गागलहेड़ी पर पजीकृत मु0अ0सं0 119/25 धारा 75, 296 बीएनएस व धारा 9 के/10 पोक्सो एक्ट मे वाछिंत चल रहे अभियुक्त **इसरार उर्फ भूरा शेख पुत्र जरीफ निवासी उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम उग्राहूँ से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

इसरार उर्फ भूरा शेख पुत्र जरीफ निवासी उग्राहू थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 261/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0स0 119/25 धारा 75/296 बीएनएस व 9K/10 पोक्सो एक्ट सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

(1) थानाध्यक्ष विनोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।

(2) उ0नि0 श्री शिव कुमार थाना गागलहेड़ी जनपद सहारनपुर ।

(3) है0का0 1115 जोगेन्द्र थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।